# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

नसीर खां व अन्य

**बनाम**

आमदीन इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन

**आदेश**

**दिनांक 19 मई 2025**

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 111/2022 अनवान नसीर खां व अन्य बनाम आमदीन इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 09 दिसंबर 2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण ग्राम चैनपुरा तहसील लोहावट के खसरा नंबर 761/743 रकबा 0.5747 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 760/743 रकबा 0.5747 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है। अपीलांट्स की भूमि के चारों तरफ मौके पर तारबंदी की हुई है तथा अपीलांट्स मौके पर काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं को अपीलांट्स के पक्ष में माना है, फिर भी रेस्पोडेंट्स द्वारा पत्थरगढी किये जाने में अपीलाधीन आदेश को प्रभावी नहीं मानने में भारी भूल की गई है। विधि का सिद्धांत है कि पत्थरगढी के आदेश में कब्जा परिवर्तन नहीं

किया जा सकता है। रेस्पोडेंट्स पत्थरगढी के आदेश की आड़ में अपीलांट्स की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश आंशिक रूप से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 दिसंबर 2022 को आंशिक रूप से अपास्त किया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद किया जावे कि वे अपीलार्थीगण की भूमि मे किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे तथा न ही किसी अन्य से करावे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स खसरा नंबर 765/744, 745 एवं 764/744 के खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट्स की खातेदारी की भूमियॉ स्वतंत्र सीमाओं से आबद्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स को रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि में दखल करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स खसरा नंबर 761/743 रकबा 0.5747 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 760/743 रकबा 0.5747 हैक्टेयर तथा रेस्पोडेंट्स खसरा नंबर 765/744 रकबा 0.4694 हैक्टेयर, खसरा नंबर 745 रकबा 0.2914 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 764/744 रकबा 0.1781 हैक्टेयर के रेकर्डेड खातेदार है। उक्त भूमियॉ पृथक-पृथक सीमाओं से आबद्ध होकर तरमीम सुदा है। विचारण न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट्स के पक्ष में मानते हुए मूल वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट्स की भूमि को संरक्षित रखने के लिए मौके की यथास्थिति के आदेश पारि किये गये है, किंतु साथ ही में रेस्पोडेंट्स को अपनी भूमि में पत्थरगढी की

| | | |
|---|---|---|
| | कार्यवाही की छूट प्रदान की गई है। रेस्पोडेंट्स द्वारा पत्थरगढी की कार्यवाही की आड़ में अपीलांट्स को भूमि में जबरन प्रवेश किया जाता है तो अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होना संभाव्य है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उक्त पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। लिहाजा उभय पक्ष को उभय पक्ष को एक-दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में आंशिक संशोधन किया जाना उचित है।<br><br>उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09 दिसंबर 2022 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है कि उभय पक्ष मूल वाद के निस्तारण तक एक-दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा नहीं करे तथा अपनी-अपनी खातेदारी भूमियों के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।<br><br>आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।<br><br>**(ओमप्रकाश विश्नोई)**<br>**राजस्व अपील प्राधिकारी**<br>**जोधपुर** | |